न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 18 / 2026
जीसीएमएस नं. : 2026 / 35

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्री हसन मोहम्मद / इमाम अली हेल्पर नुरानी केटर्स, गरीब नवाज के पास मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा।
2. श्री इखलाक खान / नसरुल्ला खान मालिक नुरानी केटर्स, गरीब नवाज के पास मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा।

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थीगण स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 16–04–2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग / अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 23.02.2026 को नुरानी केटर्स, गरीब नवाज के पास मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा की जांच उसके हेल्पर श्री हसन मोहम्मद / इमाम अली की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	HPCL	486939 S	19.800	15.700	4.100
2	HPCL	519103 S	15.500	15.500	0

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री हसन मोहम्मद/ इमाम अली द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर जय बालाजी एच.पी गैस एजेन्सी, बांसवाडा के प्रतिनिधि श्री रकमचन्द अहारी/ केसरीमल अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.03.2026 को अप्रार्थी सं. 1 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त हॉटल में कार्य करता है एवं उक्त हॉटल का मालिक नही है। कार्यवाही के दौरान मालिक हॉटल पर उपस्थित न होने से उसका नाम दर्ज कर लिया था। प्रार्थी ने उक्त सिलेण्डर को उपयोग में नही लिया है।

विभागीय प्रतिनिधि को फर्म मालिक के सन्दर्भ में रिपोर्ट हेतु पाबंद करने पर दिनांक 08.04.2026 को जरिये रिपोर्ट अवगत कराया कि इस प्रकरण में फर्म मालिक श्री कचरा पिता हालु कटारा है, जिनको पक्षकार बनाने निवेदन किया। प्रकरण में फर्म मालिक श्री इखलाक खान/ नसरुल्ला खान को पक्षकार बनाने स्वीकृति दी जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 16.04.2026 को श्री इखलाक खान/ नसरुल्ला खान उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई अवैध व्यवसाय या कारोबार नही किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है। जब्तशुदा 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। परिवादी ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 23.02.2026 को नुरानी केटर्स, गरीब नवाज के पास मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाडा की जांच उसके हेल्पर श्री हसन मोहम्मद/ इमाम अली की उपस्थिति में श्री लालशंकर

जिला ... बांसवाड़ा (राज.)

डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाया गया। श्री हसन मोहम्मद/ इमाम अली द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर जय बालाजी एच.पी गैस एजेन्सी, बांसवाडा के प्रतिनिधि श्री रकमचन्द अहारी/ केसरीमल अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर मौके पर मौजुद अप्रार्थी सं. 1 के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थीगणो द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 16–04–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)